कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-पत्रांक प्रथम/द्वितीय अपील/2025-26 वाणिज्य कर / दिनांक :26 जून 2025

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वाद अनुभाग) 499
लखनऊ दिनांक-:26 जून 2025

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

वाणिज्य कर अधिकरण के समक्ष दाखिल किये जाने वाले द्वितीय अपील एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) के समक्ष वैट व जी0एस0टी0 के अन्तर्गत दाखिल किये जाने वाले प्रथम अपील के संबंध में मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रभावी पैरवी नही की जा रही है। इस संबंध में यह भी संज्ञानित हुआ है कि द्वितीय अपील दाखिल करने का निर्णय मात्र करनिर्धारण अधिकारी के स्तर पर होने के कारण अपेक्षित समस्त मामलों में द्वितीय अपील दाखिल किये जाने का समुचित अनुश्रवण नही किया जा रहा है।

वैट अवधि के प्रथम/द्वितीय अपील के संबंध में प्रथम अपीलीय मैनुअल एवं राज्य प्रतिनिधि मैनुअल में स्थापित व्यवस्था के अनुसार राज्य प्रतिनिधि का मुख्य कार्य प्रथम अपीलीय अधिकारी या अधिकरण, वाणिज्य कर के समक्ष वादों की सुनवाई के समय विभाग का पक्ष प्रस्तुत करना तथा प्रथम अपील के निर्णय के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी से संस्तुति प्राप्त होने पर उसका परीक्षण करना एवं परीक्षण के उपरान्त द्वितीय अपील योग्य पाये जाने वाले मामलों में संबंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करते हुए उनकी सहमति पर अपीलीय आधार तैयार करना तथा अपीलीय प्रस्ताव पर संबंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर के हस्ताक्षर करवा कर अधिकरण, वाणिज्य कर के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल करना है।

मैनुअल में यह स्पष्ट रुप से प्राविधानित है कि जिन मामलों में प्रथम अपील से व्यापारी की अपील पूर्णतः/अंशतः स्वीकार की गयी है अथवा वाद प्रतिप्रेषित किया गया है, उन मामलों में राज्य प्रतिनिधि द्वारा समुचित परीक्षण उपरान्त यदि यह पाते है कि प्रथम अपील का निर्णय विधि अनुकूल नहीं है, अथवा कर निर्धारण अधिकारी ने तथ्यों के आधार पर विक्रय धन निर्धारित किया था, किन्तु प्रथम अपील से बिना ठोस आधारों के निर्धारित विक्रय धन में अत्याधिक कमी कर दी गयी है अथवा गलत तथ्यों के आधार पर कर मुक्ति दे दी गयी है, तो ऐसे मामलों में कोई तथ्यात्मक विसंगति अथवा विधिक बिन्दु निहित होने पर द्वितीय अपील दाखिल की जायेगी।

द्वितीय अपील आधार तैयार करने का सम्पूर्ण दायित्व कर निर्धारण अधिकारी/न्याय निर्णयन अधिकारी का होगा एवं अपील आधार के साथ ही मामले का समुचित ब्रीफ कर निर्धारण अधिकारी/ न्याय निर्णयन अधिकारी तैयार करके राज्य प्रतिनिधि को उपलब्ध करायेंगे तथा वाद के पक्ष में बहस के बिन्दु भी राज्य प्रतिनिधि को उपलब्ध कराने का दायित्व कर निर्धारण अधिकारी/न्याय निर्णयन अधिकारी का होगा।

इसी प्रकार जी0एस0टी0 व्यवस्था लागू होने के उपरान्त भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के अन्तर्गत दाखिल किये जाने वाले द्वितीय अपील के संबंध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में परिपत्र सं0- जी0एस0टी0 1005 दिनांक 26-03-2020, परिपत्र सं0-वाद 02 दिनांक 01-04-2021 एवं परिपत्र सं0- जी0एस0टी0 234 दिनांक 20-07-2022 जारी किये गये हैं ।

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त स्थापित व्यवस्था एवं निर्देशों के बाद भी यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रथम/द्वितीय अपील में राज्य प्रतिनिधि/कर निर्धारण अधिकारी/न्याय निर्णयन अधिकारी के स्तर पर पर्याप्त संवेदनशीलता का परिचय न दिये जाने के कारण विभाग का पक्ष प्रभावी एवं सबल रुप से प्रस्तुत नही किया जा रहा है, जिससे राजस्व की क्षति संभावित है।

अत: समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वैट अवधि के प्रथम/द्वितीय अपील तथा जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा-107 के अन्तर्गत प्रथम अपील के समक्ष राज्य कर प्रतिनिधि एवं संबंधित कर निर्धारण अधिकारी/न्याय निर्णयन अधिकारी संयुक्त रुप से पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को अभिलिखित करते हुये प्रबल आधारों के साथ विभागीय पक्ष को संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर एवं एडीशनल कमिश्नर के अनुमोदनोपरान्त प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील के मामलों में लिखित अभिकथन प्रस्तुत करते हुये विभागीय पक्ष की प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करेगें, जिससे प्रकरण में निहित राजस्व को सुरक्षित किया जा सके ।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि राजस्व की दृष्टि बडे एवं महत्वपूर्ण मामलों में संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर द्वारा स्वयं विभागीय पक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा जोनल एडीशनल कमिश्नर ऐसे मामलों में प्रभावी अनुश्रवण करेगें, जिससे विभागीय राजस्व सुरक्षित किया जा सके। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता की दशा में संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 नितिन बंसल)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-1- प्रमुख सचिव, राज्य कर, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

2-संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3-निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण को इस आशय से प्रेषित की उक्त को अध्यक्ष / सदस्य अधिकरण वाणिज्य कर को अवगत करना सुनिश्चित करें।

26.6.25

अपर आयुक्त (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner